न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2019/00390
मुकदमा नम्बर 225/2019 दावा दर्ज दिनांक–19.11.2019

ईश्वरसिंह कुम्हार पुत्र झाबरमल कुम्हार जाति कुम्हार निवासी ग्राम पबाना, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

–वादी

बनाम

1. मंजू पुत्री फूलाराम
2. सन्तरा पुत्री फूलाराम
3. सुमन पुत्री फूलाराम
4. सावित्री पुत्री फूलाराम
5. सुभाष पुत्र फूलाराम
6. मोहनी देवी पत्नी फूलाराम जाति जाट निवासी मीलनगर तन पबाना, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–प्रतिवादी

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती

वकील वादी : – श्री प्रदीप झाझडिया
वकील प्रतिवादी सं. 5 :– श्री अशोक कुमार जांगिड
वकील प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4, 6 व 7– एक पक्षीय

:: निर्णय :: **निर्णय दिनांक 09.05.2025**

वादी वादी इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम मीलनगर की सरहद में स्थित आराजी खसरा नं. 54 रकबा 0.15 है0 में से वादी को 0.11 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जावें।

वाद वादी पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4, 6 व 7 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 5 की और से वकील श्री अशोक जांगिड उपस्थित हो निम्न प्रकार से जवाब दावा पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

वाद वादी 22 वर्ष पश्चात् वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन करता है कि,पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर यह जानकारी हुई कोई महत्व नही रखता है। वादी को तथाकथित कूटरचित दस्तावेजों से कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। इसलिये वाद वादी खारिज योग्य है। वादी का वाद वादकारण के अभाव में खारिज योग्य है। न्यायालय को इस तरह के वाद सुनने का श्रेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नही है। इसलिये वादी का वाद पृथम दृष्ट्या ही खारिज योग्य है।

प्रकरण में तनकी कायम की गई। श.वादी में ईश्वर सिंह का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया।दस्तावेज मय सूची भी शामील किये गये। श.वादी.जीरह लेखबद्व की गई। श. प्रतिवादी हेतु अवसर दिये गये तथा श. प्रतिवादी पेश नही किये जाने पर अवसर बन्द किया गया। बहस वकील उभय पक्ष द्वारा पेश करने पर बगौर सुनी गई।

वकील वादी ने अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकुलान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे विवाधक तय किये जा चूके है अतः तनकीवार ही विवेचन कर निर्णय किया जाना न्यायोचित है।

1. आया वाद वादी ग्राम मीलनगर की सरहद में स्थित आराजी ख.नं. 54 रकबा 0.15 है0 में से वादी को 0.11 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है।

विवेचनः–

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पक्ष पर है और वादी पक्ष उक्त तनकी को विक्रय पत्र दिनांक 11.06.2022 व अन्य साक्ष्य शपथ पत्र से साबित कर पाये है।

2. आया वाद वादी कूटरचित दस्तावेजों के आधारित होने से खारिज करवाने का अधिकारी है।

विवेचनः–

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है और प्रतिवादी अपने साक्ष्यों से यह तनकी साबित करने मे असमर्थ रहे है।

3. आया वाद वादी वादकरण के अभाव में अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी खारिज योग्य है।

विवेचनः–

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी अपने उक्त कथन को साबित करने मे पूर्णत असमर्थ रहा है।

अतः पत्रावली पर कायम की गई तीन तनकीयों मे से केवल एक वादी पक्ष की तनकी पूर्णत साबित हो पाई है। प्रतिवादी पक्ष की तनकी साबित किये जाने मे पूर्णत असफल रहे है। लिहाजा तनकीवार विवेचन के उपरान्त वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
मेवलगढ़ (...)

:: आदेश ::

लिहाजा वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है । ग्राम मीलनगर की सरहद में स्थित आराजी खसरा नं. 54 रकबा 0.15 है0 में से वादी को 0.11 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती व अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है की मुताबिक आदेश पालना सुनिश्चित करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुंनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीसीएमएस नं. 2019 / 00390
मुकदमा नम्बर 225 / 2019 दावा दर्ज दिनांक–19.11.2019

(ईश्वरसिंह कुम्हार बनाम मंजू वगै0)
दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती
(डिक्री)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है । ग्राम मीलनगर की सरहद में स्थित आराजी खसरा नं. 54 रकबा 0.15 है0 में से वादी को 0.11 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती व अमलदरामद किये जाने के आदेश दिंये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है की मुताबिक आदेश पालना सुनिश्चित करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

जन...........–............... मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–.............फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 09 माह 05 सन 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ (झुन्झुनू)
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहानं	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00